C. M. SCIENCE COLLEGE, DARBHANGA

(Re-accredited with "A" Grade by NAAC)
(A CONSTITUENT UNIT OF L. N. MITHILA UNIVERSITY, DARBHANGA)
Website: www.cmsc.ac.in, ; E-mail: principal@cmsc.ac.in

Letter No- 1478 'A'/2018
Date - 29.11.18

छात्रसंघ चुनाव संबंधी आवश्यक सूचना

विश्वविद्यालय ज्ञापांक SW/2959-3086/18 दिनांक 03.11.2018 के आलोक में आयोजित किए जा रहे **छात्रसंघ चुनाव 2018–19** से संबंधित महत्वपूर्ण निर्देश:

महत्वपूर्ण तिथियां

1. नामांकन की तिथि	03.12.2018 एवं 04.12.2018 (पूर्वा0 10:30 बजे से अप0 4:30 बजे तक)
2. स्क्रूटनी की तिथि	05.12.2018 (पूर्वा0 11:00 बजे से)
3. नाम वापसी की तिथि	06.12.2018 (पूर्वा0 10:30 बजे से अप0 3:00 बजे तक)
4. उम्मीदवारों की अंतिम सूची का प्रकाशन	06.12.2018 (संध्या 5:00 बजे)
5. मतदान की तिथि	11.12.2018 (पूर्वा0 10:00 बजे से अप0 4:00 बजे तक)
6. मतगणना की तिथि	12.12.2018
7. परिणाम घोषणा	12.12.2018

प्रत्याशी की पात्रता

1. पूर्णकालिक नियमित स्नातक छात्र–छात्रा (उम्र सीमा : 17 – 22 वर्ष)
2. पूर्णकालिक नियमित स्नात्कोत्तर छात्र–छात्रा (उम्र सीमा : 17 – 25 वर्ष)
3. वैसे छात्र–छात्रा जो विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित किसी परीक्षा में कदाचार के आरोप में दंडित, छात्रावास से निष्कासित या न्यायालय अथवा प्रशासन के द्वारा आरोपित अथवा दोषी हों, प्रत्याशी का दावा नहीं कर सकते।
4. वैसे छात्र–छात्रा जो अपने नियमित सत्र में उत्तीर्ण न हों/ महाविद्यालय विश्वविद्यालय में पांच वर्षों से अधिक समय से नामंकित हों/ जिनका परीक्षाफल किन्हीं कारण से लंबित हो/ वे इस चुनाव में प्रत्याशी नहीं हो सकते।
5. वैसे छात्र–छात्रा जो महाविद्यालय, विश्वविद्यालय या किसी अन्य लोक संस्थान में कार्यरत हों, इस चुनाव में प्रत्याशी नहीं बन सकते।
6. प्रत्याशी को विन्दु 3 एवं 5 में वर्णित आशय का प्रथम श्रेणी दंडाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित शपथ–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
7. प्रत्याशी की पात्रता के लिए सक्षम पदाधिकारी द्वारा 75 प्रतिशत उपस्थिति–पत्रक जमा करना अनिवार्य है।

Scanned by CamScanner

8. ऑफिस बीयरर का चुनाव एक बार लड़ चुके छात्र–छात्रा दोबारा इस पद के लिए चुनाव नहीं लड़ सकते लेकिन यदि वे चाहें तो काउंसिल मेम्बर का चुनाव लड़ सकते हैं। इसी तरह पूर्व में जो एक बार काउंसिल मेम्बर का चुनाव लड़ चुके हैं उन्हें विकल्प होगा कि वे एक बार ऑफिस बीयरर या काउंसिल मेम्बर का चुनाव लड़ सकते हैं।
9. किसी भी परिस्थिति में कोई भी प्रत्याशी दो पद के लिए नामांकन नहीं कर सकते हैं।
10. छात्रसंघ चुनाव की अधिसूचना निर्गत होने के साथ ही महाविद्यालय परिसर में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू है, जो चुनाव प्रकिया पूरा होने तक लागू रहेगा।

नामांकन के लिए अनिवार्य कागजातः

1. प्रथम श्रेणी दंडाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित वांछित शपथ–पत्र।
2. पहचान पत्र की स्वअभिप्रमाणित छाया प्रति।

:

मतदान के लिए आवश्यक निर्देशः

1. महाविद्यालय परिसर में लागू आदर्श चुनाव आचार संहिता की अवधि दिनांक 17.11.2018 से 12.12.2018 तक बिना कॉलेज यूनिफार्म एवं परिचय–पत्र के महाविद्यालय परिसर में छात्र–छात्राओं का प्रवेश सर्वथा वर्जित रहेगा।
2. मतदान केवल महाविद्यालय द्वारा जारी परिचय–पत्र के आधार पर ही होगा। बिना परिचय–पत्र के छात्र–छात्रा मतदान से सर्वथा वंचित रहेंगे। अगर किन्हीं का परिचय–पत्र अब तक नहीं बन पाया हो तो वे यथाशीघ्र अपने नामांकन काउन्टर से संपर्क करें।
3. मतदान में किसी भी प्रकार का निशान लगाना सर्वथा अवैध होगा। मतदान में सिर्फ मुहर का प्रयोग ही वैध माना जायेगा।
4. मतदान केन्द्र पर मोबाइल फोन या अन्य किसी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लाना सर्वथा वर्जित रहेगा।
5. मतदान के 24 घंटे पूर्व से मतदान की समाप्ति तक परिसर में किसी प्रकार की चुनावी गतिविधि सर्वथा वर्जित रहेगी।

मताधिकार हेतु पात्रताः

1. छात्रसंघ चुनाव–2018–19 में सिर्फ स्नातक तृतीय खण्ड सत्रः 2016–19, द्वितीय खण्ड सत्र :2017–20 एवं प्रथम खण्ड सत्रः 2018–21 तथा स्नात्कोत्तर तृतीय सेमेस्टर सत्रः 2017–19 एवं प्रथम सेमेस्टर सत्रः 2018–20 के नियमित एवं पूर्णकालिक छात्र–छात्राएं अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे।

किसी भी प्रकार के विवाद या संशय का समाधान राजभवन के छात्रसंघ चुनाव नियमावली के तहत होगा।

मतदाता सूची एवं अन्य आवश्यक निर्देश महाविद्यालय के वेबसाइट www.cmsc.ac.in पर भी उपलब्ध है।

29/11/18

(डा0 प्रेम कुमार प्रसाद)
प्रधानाचार्य–सह–निर्वाचन पदाधिकारी

29.11.18

29/11/18

Scanned by CamScanner